

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 09 अगस्त 2016

विषय:- एटा-अलीगंज मार्ग (एम0डी0आर0-98) किमी0 25.118 की दायीं पटरी पर ग्राम राजपुर के खसरा संख्या-171 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065336 हे0 (संशोधित 0.0616 हे0) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/26/2016/ एफसी/141, दिनांक 21-6-2016, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से एन0पी0वी0 की उचित दर से गणना उपलब्ध किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्र संख्या-159/एटा/13498/यूपी-129/2015, दिनांक 26-7-2016 के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्र दिनांक 20-7-2016 के पत्र के माध्यम से विषयगत प्रकरण में प्रभावित 0.0616 हे0 संरक्षित वन भूमि के एन0पी0वी0 की गणना शासन को उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बंध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26-7-2016 संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथापरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-1663(1)/14-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।